# न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रा0पत्र सं0 03/2021

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राज्य सरकार जरिये कृषि अधिकारी(प्रशिक्षण) कार्यालय सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) दौसा

....प्रार्थी

बनाम

श्री पूनीराम राजबलाई पुत्र रामजीलाल राजबलाई निवासी ग्राम पोस्ट अलूदा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा

..अप्रार्थी

बीज विक्रय का लाईसेन्स लिये बिना बीज विक्रय करने पर जब्त बीज का आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र

उपस्थितः1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः 30.5.2025

1. सक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 इस प्रकार है कि श्री सुरज्ञान सिंह गुर्जर, निरीक्षक (बीज, उर्वरक व कीटनाशी) एवं कृषि अधिकारी (सामान्य) दौसा द्वारा दिनांक 25.6.2021 को बीज जब्त कर राजसात करने हेतु निवेदन किया।
2. प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। उभय पक्ष बहस सुनी गई।
3. राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 25.6.2021 को जिले के निरीक्षकों की टीम ने नांगल तहसील का निरीक्षण हेतु भ्रमण किया। इस दौरान अलूदा बाजार में आदान विक्रेताओं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि एक पशु आहार विक्रेता श्री पूनीराम राजबलाई पुत्र रामजीलाल राजबलाई द्वारा बीज का विक्रय किया जा रहा था। मौके पर बीज का स्टॉक मौजूद नहीं था तथा श्री पूनीराम राजबलाई के पास बीज विक्रय का अनुज्ञापत्र भी मौजूद नहीं था। मौके पर मिले बीज को जब्त किया गया। साथ ही मौका पर्चा भी तैयार किया गया। बिना अनुज्ञा पत्र बीज विक्रय के संबंध में एक कारण बताओ नोटिस कार्यालय पत्र क्रमांक:619 दिनांक 28.6.2021 के द्वारा श्री पूनीराम राजबलाई को दिया गया जिसके जवाब में श्री पूनीराम राजबलाई ने लिखा कि यह बीज मैं मेरे खेत में बुवाई के लिए खरीद कर लाया था जो मेरी दुकान में रखा हुआ था। श्री पूनीराम राजबलाई का यह जवाब संतोषजनक नहीं है। श्री पूनीराम राजबलाई द्वारा एससीआई 1983 के क्लॉज 3 का उल्लंघन किया गया है। चूंकि बीज आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आता है। अतः प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रेषित कर निवेदन है कि जब्तशुदा बीज को शीघ्र राजसात करने के आदेश फरमावें। बीज अभी ग्राम सेवा सहकारी समिति बडागांव में सुरक्षित रखा हुआ है। अतः बीज को राजसात करके ग्राम सेवा सहकारी समिति बडागांव के द्वारा विक्रय करके एवं प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करने के आदेश फरमावें।
4. अप्रार्थी के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
5. पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है [illegible] होता है कि दिनांक 25.6.2021 को श्री सुरज्ञान सिंह गुर्जर, कृषि अधिकारी (सामान्य) दौसा द्वारा अलूदा बाजार में आदान विक्रेताओं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि एक पशु आहार विक्रेता श्री पूनीराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:38:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

राजबलाई पुत्र रामजीलाल राजबलाई द्वारा बीज का विक्रय किया जा रहा था। मौके पर बीज का स्टॉक मौजूद नहीं था तथा श्री पूनीराम राजबलाई के पास बीज विक्रय का अनुज्ञापत्र भी मौजूद नहीं था। मौके पर मिले बीज को जब्त किया गया। उक्त जब्त पैकेटों को बडागांव ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 बडागांव को अभिरक्षा में संभलाया गया। तथा बीज विक्रय का अनुज्ञा पत्र नहीं होने के कारण प्रतिबंध लगाया गया। चूंकि श्री पूनीराम राजबलाई द्वारा बीज नियंत्रण आदेश 1983 की धारा 3 का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित पाया जाता है। ऐसी स्थिति में जब्तशुदा बीज को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रा0 पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 स्वीकार किया जाता है। जब्तशुदा बीज 42 किलोग्राम को राजसात किया जाता है। सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) दौसा को आदेशित किया जाता है कि जब्तशुदा बीज 42 किलोग्राम का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर पालना से एक माह में इस न्यायालय को अवगत करावें। अधीनस्थ क्रय विक्रय सहकारी समिति बडागांव को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 30 मई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस की अवधि में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:38:34 IST
Reason: SelfAttested